रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CK 27/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 539] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 1985/अग्रहायण 21, 1907
No. 539] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 12, 1985/AGRAHAYANA 21, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि. 901(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 52) की धारा 9 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता विमानपत्तन जो उक्त धारा 9 के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित

"सीमा-शुल्क स्टेशन" है तस्करी के लिए अधिक उपयुक्त है, उक्त खण्ड (5) के प्रयोजनों के लिए उक्त विमान-पत्तन को विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 671/2/84-सी. शु. 6]

ए. के. अग्निहोत्री, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1985

G.S.R. 901 (E) :—In exercise of the powers conferred by clause (v) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 9 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government, having regard to the vulnerability of Calcutta air port (being a "customs station" as defined in Explanation 2 of the said section 9) to smuggling, hereby specifies that airport for the purposes of the said clause (v).

[F. No. 671|2|84-Cus. VIII]

A. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985